

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ— /१/सा.प्र.वि. /2020/।।०२

भिलाई, दिनांक ३०-१०-२०२०

//आदेश//

श्री दयाल दास साहू आ० श्री रोमनाथ साहू टाऊन प्लानिंग सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 13.11.2020 को ६२ वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम ५६ के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2020 को अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
सामाच्य/प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ— /१/सा.प्र.वि./2020/।।०३

भिलाई, दिनांक ३०-१०-२०२०

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त ०२, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. भवन अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्री दयाल दास साहू आ० श्री रोमनाथ साहू टाऊन प्लानिंग सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
सामाच्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई